

Circular

Circular No: PFRDA/2023/35/Sup-CRA/11

6th Dec 2023

To

All NPS subscribers

Subject: Convenience of NPS Contribution through Personalized QR Code of D-Remit

As part of PFRDA's commitment to provide the NPS subscribers with an enhanced experience during their NPS journey, another digital mode of contribution has been enabled.

2. Currently, the subscribers are provided with the option of contributing directly from their Bank Account using D-Remit. The D-remit Id contains 12 digits which has to be added as a beneficiary in Internet banking while transferring voluntary contribution from the subscribers' Savings Bank Account. The facility of D-remit and its benefits was launched vide Circular dated 12th May 2020 & 1st Oct 2020. The option of D-remit is widely used by subscribers and till now nearly 10 Lac D-remit IDs have been created across sectors and subscribers from various sectors have collectively deposited approx. Rs 2700 crores of contributions since the launch of this feature. It may be noted that contributions received by Trustee Bank till 9.30 AM in its working day and on settlement days are invested on the same day and eligible for same day NAV.

3. NPS subscribers can now contribute to their NPS accounts using the D-remit-based Quick Response (QR) code. The subscribers can scan the QR code and make contributions using any UPI-enabled application. The QR code is unique to each subscriber which can be saved offline for making payments and the QR codes are different for Tier I and Tier II.

4. Only subscribers who have enabled D-remit Id can make the QR code-based contributions into NPS. The subscribers can create the D-remit Id/Virtual Id on the websites of CRAs. The process flow to deposit contribution through QR code is placed at Annexure for ready reference.

5. This circular is issued under Section 14 (1) of PFRDA Act, 2013 read with Regulation 18 and 19 of the PFRDA (CRA) Regulations, 2015.

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI

Chief General Manager

Page 1 of 2



Annexure

Process flow to make NPS contributions through QR code

CAMS CRA:

- Subscriber can login to NPS account, click on contribution < initiate contribution and select virtual account status and QR code will be displayed.
- Scan the QR code through any payment UPI App .

KFin-CRA:

- Subscriber need to visit eNPS login page, click on transaction menu < “Subsequent Contribution”.
- Upon selecting Payment Mode as “UPI”, QR code as per Account type will be displayed.
- Scan the QR code through any payment UPI App.

Protean CRA:

- Subscribers can visit the e-NPS contributions page and authenticate themselves. Alternatively, subscribers can login to their NPS account and choose contribute online under transact online tab.
- Choose same day investment option. Unique QR codes will be displayed to the subscriber.
- Scan the QR code through any payment UPI App.

परिपत्र

परिपत्र सं : पीएफआरडीए/2023/35/एसयूपी-सीआरए/11

6 दिसम्बर 2023

प्रति

सभी एनपीएस अभिदाता

विषय – डी-रेमिट के तहत व्यक्तिगत क्यूआर कोड(QR code) द्वारा एनपीएस अंशदान जमा करने की सुविधा

एनपीएस अभिदाताओं को उनकी एनपीएस की अवधि के दौरान बेहतर अनुभव प्रदान करने हेतु पीएफआरडीए प्रतिबद्ध है। इसके तहत, अंशदान की एक अन्य डिजिटल प्रणाली सक्षम की गई है।

2. वर्तमान में, अभिदाताओं को डी-रेमिट का उपयोग करके सीधे अपने बैंक खाते से अंशदान जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है। डी-रेमिट आईडी में 12 अंक होते हैं जिन्हें अभिदाता के बचत बैंक खाते से स्वैच्छिक अंशदान जमा करते समय इंटरनेट बैंकिंग में लाभार्थी के रूप में जोड़ा जाता है। डी-रेमिट की सुविधा और इसके लाभों को पीएफआरडीए द्वारा दिनांक 12 मई 2020 और दिनांक 1 अक्टूबर 2020 के परिपत्रों के माध्यम से प्रदान किया गया है। डी-रेमिट विकल्प का अभिदाताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 लाख डी-रेमिट आईडी बनाए जा चुके हैं तथा डी-रेमिट के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों के अभिदाताओं ने इस सुविधा के लॉन्च होने के बाद से अब तक सामूहिक रूप से लगभग 2700 करोड़ रुपये का अंशदान जमा किया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपने कार्य दिवस और निपटान दिवस पर सुबह 9.30 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान उसी दिन की एनएवी के लिए पात्र है।

3. एनपीएस अभिदाता अब डी-रेमिट-आधारित क्लिक रिस्पांस (क्यूआर) कोड का उपयोग करके अपने एनपीएस खातों में अंशदान जमा कर सकते हैं। अभिदाता, क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी भी यूपीआई-सक्षम एप्लिकेशन द्वारा अंशदान जमा कर सकते हैं। प्रत्येक अभिदाता के लिए एक विशिष्ट क्यूआर कोड होता है जिसे भुगतान करने हेतु ऑफ़लाइन भी रखा जा सकता है। टियर 1 और टियर 2 खातों के लिए क्यूआर कोड अलग-अलग होते हैं।

4. जिन अभिदाताओं ने डी-रेमिट सक्षम किया है, केवल वे ही एनपीएस में क्यूआर कोड-आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। अभिदाता सीआरए की वेबसाइट पर डी-रेमिट आईडी / वर्चुअल आईडी बना सकते हैं। क्यूआर कोड द्वारा अंशदान जमा करने की प्रक्रिया संदर्भ हेतु अनुलग्नक संलग्न है।

5. यह परिपत्र, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 (1) के साथ पठित पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 के विनियमन 18 और 19 के तहत जारी किया गया है।

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI

मुख्य महाप्रबंधक

Page 1 of 2

क्यूआर कोड द्वारा एनपीएस अंशदान जमा करने की प्रक्रिया**कैम्स सीआरए :**

- अभिदाता अपने एनपीएस खाते में लॉगिन करके, "अंशदान (Contribution) < अंशदान शुरू करें" (Initiate Contribution) पर क्लिक करके, वर्चुअल खाता स्थिति (Virtual Account status) का चयन करें। तदुपरांत क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा।
- किसी भी भुगतान यूपीआई ऐप द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन करें।

केफिन सीआरए :

- अभिदाता ई-एनपीएस लॉगिन पेज पर जाकर लेनदेन मेनू में (Transaction Menu) < "आगामी अंशदान" (Subsequent contribution) पर क्लिक करें।
- भुगतान प्रणाली हेतु "यूपीआई" (Payment mode as UPI) का चयन करने के बाद, खाते के आधार पर क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा।
- किसी भी भुगतान यूपीआई ऐप द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन करें।

प्रोटियन सीआरए :

- अभिदाता ई-एनपीएस अंशदान पेज पर जाकर स्वयं को सत्यापित कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अभिदाता अपने एनपीएस खाते में लॉगिन करके ऑनलाइन लेनदेन टैब (transact online) के तहत ऑनलाइन अंशदान का विकल्प चुन सकते हैं।
- उसी तिथि पर निवेश करने का विकल्प चुनें। अभिदाता हेतु एक विशिष्ट क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा।
- किसी भी भुगतान यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करें।